

न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

विविध वाद सं०—145/19

धारा—155 (2) सी०आर०पी०सी०

एन०सी०आर० नं०—15/19

थाना—सोहरामऊ, जिला उन्नाव

जयप्रकाश बनाम प्रीती आदि

05-03-2019

विविध प्रार्थना पत्र पेश हुआ। थाने की आख्या प्राप्त है।

सुना। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में पुत्र के साथ मारपीट किये जाने एवं मारपीट में गम्भीर चोट आने का कथन किया है। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी जयप्रकाश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—155(2) सी०आर०पी०सी० स्वीकृत करते हुए थानाध्यक्ष सोहरामऊ को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त मामले में नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

ए०सी०जे०एम० कोर्ट सं०—2, उन्नाव।